

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

का०आ०सं० : Exam/TypeTest/ 07-2022/ 19907/77R Mo-44

दिनांक: 03.06.2022

कार्यालय आदेश

सेवारत लिपिकों के लिए टंकण परीक्षा, जुलाई-2022

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) (05.11.2013 तक संशोधित) के प्रस्तर 9.6.5 एवं 9.6.6 के आधार पर लिपिकों के लिए आगामी त्रैमासिक टंकण परीक्षा जुलाई माह में **दिनांक :04.07.2021 (दिन सोमवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे** से आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा की अवधि 15 मिनट की होगी। परीक्षा स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय में कार्यरत समस्त लिपिकों को (कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती किए गए लिपिकों को छोड़कर) टंकण परीक्षा में कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट निर्धारित गति प्राप्त करनी है। वे लिपिक जो टंकण परीक्षा में निर्धारित गति नहीं प्राप्त कर पाएंगे, वरीयता क्रम या किसी विभागीय परीक्षा, कोई वेतनवृद्धि, स्थायीकरण या पदोन्नति के हकदार नहीं होंगे।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रोक दी गयी उनकी वेतन वृद्धियाँ अवमुक्त कर दी जायेंगी, परन्तु परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले का बकाया देय नहीं होगा।

1. कार्यालय में कार्यरत ऐसे एम. टी. एस. कर्मचारी भी जिन्होंने इटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, टंकण परीक्षा में बैठ सकते हैं।
2. ऐसे समस्त पदोन्नत लिपिक जो अनुकम्पा के आधार पर, खेल कोटा के आधार पर अथवा खंडीय लेखाकार से पदावनत किये गये हैं, उनको भी यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

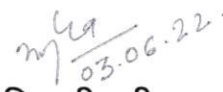
सभी अभ्यर्थी अपना आवेदन परीक्षा अनुभाग से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर दिनांक 20.06.2022 तक आवश्य जमा कर दें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/परीक्षा

सं० :- Exam/TypeTest/ 07-2022/ 19908, 910, 913, 917, 19921 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- प्रथम एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सहायक लेखाधिकारी / वरि. उपमहालेखाकार (प्रशासन) प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी / ई. डी. पी. प्रशिक्षण / जी. डी./आई. टी. सी. जी., कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /कम्प्यूटर सेल, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त सूचना पट्ट।


सहायक लेखाधिकारी/परीक्षा

Sh. Simran
21/6